

कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।


बस पडाव बालुमाथ में नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं
स्नानागार की बन्दोबस्ती वर्ष 2017-18

तृतीय सूचना

क्र०	प्रखण्ड	निलामी हेतु शौचालय एवं स्नानागार का नाम	निलामी में भाग लेने हेतु जमानत की राशि	शौचालय एवं स्नानागार निलामी की तिथि	समय
1	2	3	4	5	6
1	बालुमाथ	बस पडाव बालुमाथ में नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं स्नानागार	5000.00	7/09/2017	11:00 AM

नोट:-

1. निलामी की नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय आवधि में देखी जा सकती हैं। तथा NIC Latehar के वेबसाइट (www.latehar.nic.in) पर भी उपलब्ध है।
2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति (कोई एक) जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।


सच विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

सूचना

एतद् द्वारा सभी आम एवं स्वयं को सूचित किया जाता है कि लातेहार जिला परिषद, अक्टूबर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 31.03.2018 तक बालुनाथ बस पड़ाव में नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं स्नानागार का खुली डाक द्वारा दिनांक 7.09.2017 को उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार के डी०आर०डी०ए० स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बन्दोबस्ती की जाएगी। जो व्यक्ति खुली डाक में भाग लेना चाहते हैं उक्त लिथि को डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को खोली गई डाक राशि के विरुद्ध तुरंत 50 प्रतिशत जमाना जमा करना होगा तथा उचित डाक बजला को एक मुश्त सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा कर देनी होगी अन्यथा डाक रद्द करते हुए अधधन की राशि जप्त कर ली जाएगी। सो 5000/- (पांच हजार रुपये प्रारंभ करने के पूर्व अधधन स्वरूप जमा करना होगा।

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार को बिना कारण बताये डाक स्थगित करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

क्र	नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं स्नानागार का नाम	प्रकार	जमानत की राशि
1	प्रखण्ड बालुनाथ बस पड़ाव में नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं स्नानागार।	, बालुनाथ	5000.00

ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

प्रतिलिपि:-

- ज्ञापांक:- 994 दिनांक:- 28.08.17
1. उपायुक्त, लातेहार।
 2. आरक्षी अधीक्षक, लातेहार।
 3. अध्यक्ष जिला परिषद, लातेहार।
 4. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार।
 5. अनुसन्धान पदाधिकारी, लातेहार को सूचना पत्र पर प्रकाशनार्थ।
 6. जिला अभियंता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
 7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालुनाथ अंचल अधिकारी बालुनाथ तथा जिला परिषद सदस्य, बालुनाथ को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
 8. धाना प्रभारी, बालुनाथ को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
 9. सुधिया ग्राम पंचायत बालुनाथ।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।